

न्यायालय—मधुसूदन जंघोल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्रक0क0:-487 / 2013

स्थित दिनांक:-17.06.2013

फाईलिंग नं.23450300522013

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी  
केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

**!! विरुद्ध !!**

मोहेलाल पिता ढोडुलाल, उम्र-40 साल, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम हिरी चौकी बिठली थाना रूपझर  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

**!! निर्णय !!**

( दिनांक 11/05/2018 को घोषित किया गया )

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 21.04.2013 को समय 14:30 बजे चौकी बिठली आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी में फरियादी देवीसिंह को लोकस्थान या उसके समीप माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी देवीसिंह को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी देवीसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा-294, 323, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 21.04.2013 को समय 14:30 बजे फरियादी देवीसिंह अपने ससुराल गया था और वहाँ से हिरी बिरन के यहाँ जा रहा था, रास्ते में माता मंदिर में पूजा करने गया और पूजा करके वापस आ रहा था, उसी समय आरोपी मोहेलाल ने शराब पीकर मंदिर में पूजा क्यों किया कहकर माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा और जान से मारने की धमकी दिया। आरोपी ने फरियादी देवीसिंह को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर धक्का दे दिया, जिसके कारण फरियादी देवीसिंह गिर गया और पत्थर पर गिरने से उसे घुटने में चोट आई, जिसके उपरांत फरियादी देवीसिंह ने थाना रूपझर में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0-35/13 धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. का

पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.04.2013 को समय 14:30 बजे चौकी बिठली आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी में फरियादी देवीसिंह को लोकस्थान या उसके समीप माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवीसिंह को मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवीसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—**

#### **विचारणीय प्रश्न क मांक-01**

06. देवीसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण नहीं कराया जा सका है। प्यारेलाल अ.सा.01, बुधराम अ.सा.02, जगदीश अ.सा.03, मानसिंह अ.सा.04, किस्मत अ.सा.05 ने आरोपी द्वारा फरियादी देवीलाल को गाली-गलौच करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों ने गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी उक्त साक्षियों ने आरोपी मोहेलाल द्वारा गाली-गलौच किये जाने से इंकार किये हैं। इस प्रकार उक्त साक्षियों ने गालियों

के बारे में तथा उसकी अश्लील प्रकृति के बारे में नहीं बताया है। उक्त साक्षियों ने गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में भी नहीं बताया है। फलतः आरोपी मोहेलाल द्वारा फरियादी देवीसिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

### विचारणीय प्रश्न क मांक-02

07. प्यारेलाल अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी मोहेलाल तथा फरियादी देवीसिंह को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 21.04.2013 को आरोपी मोहेलाल फरियादी देवीसिंह को माता मंदिर के पास मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.01 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

08. बुधराम अ.सा.02 ने यह बताया है कि वह आरोपी मोहेलाल एवं फरियादी देवीसिंह को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 21.04.2013 को आरोपी मोहेलाल फरियादी देवीसिंह को माता मंदिर के पास मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

09. जगदीश अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी मोहेलाल एवं फरियादी देवीसिंह को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 21.04.2013 को आरोपी मोहेलाल फरियादी देवीसिंह को माता मंदिर के पास मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

10. मानसिंह टेकाम अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी मोहेलाल एवं फरियादी देवीसिंह को जानता है, किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 21.04.2013 को आरोपी मोहेलाल फरियादी देवीसिंह को माता मंदिर के पास मारपीट किया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. फरियादी देवीसिंह का लड़का किस्मत अ.सा.05 ने यह बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना कुछ वर्ष पूर्व की है। उसके पिता देवीसिंह का किसी से झगड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर गया था। उसके पिता को चोट आई थी। इसके अलावा उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान नहीं लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उसके पिता भूरन काका से मिलने जा रहे थे, उसी समय माता मंदिर पीपल पेड़ के नीचे ग्राम हिर्री में आरोपी मोहेलाल ने देवीसिंह से मारपीट की थी। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.06 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार यह साक्षी जो कि फरियादी देवीसिंह का पुत्र था, इस साक्षी ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12. इस प्रकार फरियादी देवीसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण नहीं कराया जा सका है। फरियादी के पुत्र किस्मत अ.सा.05 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में परीक्षित कराये गये अन्य स्वतंत्र साक्षी प्यारेलाल अ.सा.01, बुधराम अ.सा.02, जगदीश अ.सा.03 और मानसिंह अ.सा.04 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये संपूर्ण साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी उनके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी की मृत्यु होने के उपरांत घटना के उक्त साक्षीगण महत्वपूर्ण साक्षी थे, किन्तु उक्त किसी भी साक्षी ने आरोपी मोहेलाल द्वारा फरियादी देवीसिंह को मारपीट की घटना का समर्थन नहीं किया



है। फलतः आरोपी मोहेलाल द्वारा फरियादी देवीसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का कृत्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न क मांक-03**

**13.** देवीसिंह की मृत्यु होने से उसका परीक्षण नहीं हुआ है। साक्षी प्यारेलाल अ.सा.01, बुधराम अ.सा.02, जगदीश अ.सा.03 और मानसिंह अ.सा.04 ने आरोपी मोहेलाल द्वारा फरियादी देवीसिंह को जान से मारने की धमकी दिये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं। फरियादी के पुत्र किस्मत अ.सा.05 ने भी आरोपी द्वारा उसके पिता फरियादी देवीसिंह को जान से मारने की धमकी दिये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किया है। उक्त साक्षियों ने यह नहीं बताया है कि फरियादी देवीसिंह आरोपी की धमकी को सुनकर भयभीत हो गया था या उसे जान का भय पैदा हो गया था। उक्त साक्षियों ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी देवीसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

**14.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21.04.2013 को समय 14:30 बजे चौकी बिठली आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी में फरियादी देवीसिंह को लोकस्थान या उसके समीप माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी देवीसिंह को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित किया, फरियादी देवीसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-294, 323, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है।
16. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी दिनांक 16.10.2015 से दिनांक 17.10.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / –  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / –  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु  
विविध उपयोग